ग्राम पंचायत मकड़ोली, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024

<u>भाग-एक</u>

1. प्रस्तावना

{क} ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनाँक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत मकड़ोली, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखों का अंकेक्षण हि.प्र राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री अवदेश कुमार	01-04-22 से 31-03-24

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री अमन डोगरा	01-04-22 से 09-10-22
2.	श्री गोपाल दास	10-10-22 से 04-05-23
3.	श्रीमति रेनू देवी	05-05-23 से 31-03-24

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत मकड़ोली के अवधि "01-04-2022 से 31-03-2024" के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	4.1	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना	0.62
2.	5	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	19.38
3.	6	प्रियासॉफ्ट में संधारित लेखों तथा हस्तलिखित लेखों के आंकड़ों में बहुत ज्यादा अंतर पाया जाना	0.79
4.	7	गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.69
5.	9	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे	0.06
6.	10	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने से राजस्व हानि	0.24
7.	11	मजदूरी के रूप में अधिक व अनियमित भुगतान करना	0.07
8.	12	क्रय किये गये सामान का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होना	4.44

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2013 से 31/03/2016 तक

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में निम्नलिखित दर्शायी गई है। यह भी देखने में आया है कि गत लेखा अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी जो अत्यंत चिंताजनक है। अतः ग्राम पंचायत इन लंबित पैरों के निपटारे हेतु विशेष कार्रवाई करनी सुनिश्चित करें तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण संभव हो सके।

1	पैरा 3	निर्णीत	माँग व प्राप्ति रजिस्टर में पुष्टि उपरान्त पेज संख्या 46
2	पैरा 4	अनिर्णीत	
3	पैरा 5	अनिर्णीत	
4	पैरा 6	अनिर्णीत	
5	पैरा 7	अनिर्णीत	
6	पैरा 8	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
7	पैरा 9	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
8	पैरा 10	अनिर्णीत	
9	पैरा 11	अनिर्णीत	
10	पैरा 12	अनिर्णीत	
11	पैरा 13	अनिर्णीत	
12	पैरा 14	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत मकड़ोली, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा के अवधि “01/04/2022 से 31/03 /2024” तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री अजय कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनाँक 15-06-2024 से दिनांक 21-06-2024 के दौरान पंचायत कार्यालय, मकड़ोली में किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	01/23	07/22
2023-24	03/24	01/24

अस्वीकरण (Disclaimer):- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के सचिव/प्रधान द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत मकड़ोली, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर **₹4,000**/- बनता है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 310 दिनांक 21.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मकड़ोली से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत मकड़ोली द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{क} स्व: स्त्रोत:- ग्राम पंचायत मकड़ोली के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक स्व: स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-23	224138.00	55634.00	279772.00	11779.00	267993.00
2023-24	267993.00	165509.37	433502.37	46202.00	387300.37

{ख} अनुदान:- ग्राम पंचायत मकड़ोली के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट -1** में दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-23	2920229.87	3323064.70	6243294.57	3929888.70	2313405.87
2023-24	2313405.87	1116447.00	3429852.87	1491857.37	1937995.50

{ग} दिनांक 31.03.24 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम संख्या	शीर्ष	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1.	General/OWN SPURCE	KCCB MAKROLI	200158004948	375945
2.	5TH FC	KCCB MAKROLI	50055745765	49545.5
3.	14TH FC	KCCB MAKROLI	50064391361	0
4.	VKVNY	KCCB MAKROLI	50056024504	120002
5.	NRHM	KCCB MAKROLI	50055745798	0
6.	IWMP	KCCB MAKROLI	50064140215	0
7.	15TH FC	PNB REHAN	843000102242280	1717130
8.	हस्तगत रोकड़			200
कुल योग				**2262822.5**

4.1 बैंक समाधान विवरणी:-

दिनांक 31-03-24 को बैंक अनुसार अन्त शेष	2262822.5
दिनांक 31-03-24 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष (क+ख)	2325295.87
अंतर	**62473.37**

4.2 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में ₹0.62 लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत की रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31-03-24 को **₹62473.37** की राशि का बैंक में कम जमा के रूप में बहुत ज्यादा अन्तर पाया गया । पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है ।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 308(1) दिनांक 21.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मकड़ोली से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या GP MAKROLI-01 दिनांक 21.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा ।

अत: अन्तर की राशि बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए तदानुसार पंचायत की रोकड़ बहियों एवं बैंक शेषों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा अन्तर की राशि को उचित स्रोत से वसूल कर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

4.3 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को तैयार न करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुये एक आय तथा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन-देन के लिए अलग-अलग प्रविष्टि की जाएगी । प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी । इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय-व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है । इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय-व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई । इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये ।

4.4 लेखा खाता /खाताबही तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस –किस कार्य हेतु कितनी – कितनी राशि प्राप्त हुई है व किस – किस कार्य पर कितना – कितना व्यय हुआ है , तथा इन कार्यों को पूरा किया जा चुका है अथवा नहीं, जिसके कुछ दृष्टांत मामलों का विवरण निम्नानुसार है :-

अनुदान/शीर्ष	वाउचर संख्या /दिनांक	कार्य का नाम	राशि (₹)
VMJS/VKVNY	14/15.07.2022	Completion two room Shaid Jitender Singh GSSS Makroli	60150
IWMP	17/16.07.2022	निर्माण वाटर टैंक सिकंदर पठानिया पुत्र श्री चैन सिंह	17000
14TH FC	22/30.01.2024	निर्माण रास्ता करनैल सिंह हाउस से में रोड तक	30900

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 308(7) दिनांक 21.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मकड़ोली से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या GP MAKROLI-01 दिनांक 21.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण अवधि 2022-23 व 2023-24 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

5. अनुदान राशि ₹19.38 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधानऔरभत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है |

पंचायत द्वारा अनुदानों से सबंधित उपलब्ध करवाई गई सूचना **"परिशिष्ट-1"** के अनुसार दिनांक 31-03-24 तक अनुदान राशि ₹1937995.50 उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 308(2) दिनांक 21.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मकड़ोली से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या GP MAKROLI-01 दिनांक 21.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः शेष अनुदानों के सम्बन्ध में पूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए उक्त राशि को निर्धारित उद्देश्यों हेतू व्यय करना सुनिश्चित किया जाये।

6. प्रियासॉफ्ट में संधारित लेखों तथा हस्तलिखित लेखों के आंकड़ों में ₹0.79 लाख का बहुत ज्यादा अंतर पाया जाना :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E- Panchayat Mission Project (MPP) प्रारम्भ की गई है, जिसका क्रियान्वन पंचायती राज विभाग हि. प्र. कर रहा है | इस योजना के क्रियान्वयन के साथ – साथ हि. प्र. पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागजरहित प्रणाली के अंतर्गत e-panchayt में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण हस्तलिखित तथा प्रिया सॉफ्ट (computerised) दोनों माध्यम से किया जा रहा तथा जो लेखे Priya Soft में बनाये जा रहें है, वे बैंक खातों/हस्तलिखित रोकड़ बही खातों से मिलान नहीं खाते | परिणामस्वरूप ₹79119.89 का अंतर पाया गया, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत के लेखें सच्ची व सही स्थिति नहीं दर्शाते हैं, जिसके चलते किसी भी स्तर पर हेर-फेर अथवा गड़बड़ी कि सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

(क) प्रियासॉफ्ट में दर्ज वार्षिक प्राप्ति /व्यय व हस्तलिखित रोकड़ बही के अनुसार वार्षिक प्राप्ति /व्यय में अंतर (Except MNREGA)

क्रम स.	वर्ष	प्राप्ति			भुगतान		
		प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर
1	22-23	2853116.38	2691816.00	161300.38	2606755.38	3254785.00	648029.62
2	23-24	799780.00	884088.37	84308.37	1027725.00	1140191.37	112466.37

(ख) प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए गए बैंक शेष तथा बैंक पास बुक शेष में अंतर पाया गया, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:- (Except MNREGA)

वर्ष	प्रियासॉफ्ट के अनुसार बैंक शेष	बैंक पासबुक के अनुसार शेष + (CASH IN HAND)	अंतर
2023-24	2341142.39 + 800 (Cash in Hand) = 2341942.39	2262822.50	79119.89

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 308(4) दिनांक 21.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या GP MAKROLI-01 दिनांक 21.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूंचित कर दिया जाएगा।

अतः अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा अन्तर की राशि को उचित स्रोत से वसूल कर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7. गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण ₹0.69 लाख का पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 34(2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अपने अधीनस्थ सभी स्त्रोतों जहां से राजस्व उत्पन्न होता है, इतनी रकम का, जितनी बैंक, खजाना या अन्य लेखा-जोखा दिया है के लिए उधार दावा करते हुए, मासिक लेखे और विवरणी, अभिप्राप्त करने की व्यवस्था करेगा और उन्हें प्रारूप 10 में मांग रजिस्टर में नोट करवाएगा।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख अर्थात गृह कर के मांग व संग्रहण रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था। पंचायत द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान ₹50 प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि ₹69350 के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.24 को शेष थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट "ख"** व नीचे तालिका में दिया गया है:-

सम्पति कर:-

वर्ष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2022-23	403	50	64660	20150	84810	0	84810
2023-24	486	50	84810	24300	109110	39760	69350

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी एवं मांग व वसूली रजिस्टर का साधारण प्रारूप -10 पर नहीं करने के फलस्वरूप लम्बित गृह कर तथा वसूली का सही पता लगाया जा सके।

गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख का संधारण न करना तथा गृह कर नियमित रूप से वसूल न करना इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर की नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है, जो कि न केवल उपरोक्त नियमों की अवहेलना है अपितु

यदि पंचायत राजस्व बकाया राशि इसी तरह बढ़ती रही तो किसी समय पर इसे वसूल कर पाना असम्भव हो जायेगा।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 308(3) दिनांक 21.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या GP MAKROLI-01 दिनांक 21.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया राजस्व की शीघ्र नियमित वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. दोहरी उपस्थिति के कारण अनियमित भुगतान करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान मनरेगा के मस्ट्रोल में उपस्थित पंचायत सदस्यों की उपस्थिति की जाँच पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर के साथ करने पर पाया गया कि पंचायत सदस्यों की उपस्थिति सामान दिन में मनरेगा मस्ट्रोल व पंचायत बैठक दोनों में दर्ज की गयी थी, जो कि अनियमित है| उपरोक्त अनियमिता का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	मस्ट्रोल संख्या/अवधि	निर्माण कार्य का नाम	मस्ट्रोल में उपस्थिति की तिथि	पंचायत बैठक में उपस्थिति की तिथि	मानदेय के रूप में भुगतान की गई राशि (₹)	मनरेगा की मजदूरी दर के रूप में भुगतान की गई राशि (₹)
1.	किरण बाला	..... 643...... 16.06.2023 से 30.06.2023	C/O of Amrit sarover ward no. 5	25.06.2023	25.06.2023	500	240
2.	किरण बाला	..... 922...... 16.07.2023 से 30.07.2023	C/O of Amrit sarover ward no. 5	20.07.2023	20.07.2023	500	212

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 308(6) दिनांक 21.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या GP MAKROLI-01दिनांक 21.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त अनियमित भुगतान की वसूली वस्तुस्थिति अनुसार यथोचित दर से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे:-

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या – SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त की जानी अपेक्षित है, जिसे समय समय पर वसूल करने के उपरांत विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0235-00-800-03" में जमा करवाना अपेक्षित है:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान निम्न विवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1	2022-23	2625
2	2023-24	3800
कुल योग		**6425/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 308(8) दिनांक 21.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या GP MAKROLI-01 दिनांक 21.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत

उपरोक्त नियमानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

10. खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने के फलस्वरूप राशि ₹0.24 लाख के राजकीय राजस्व की सम्भावित हानि:-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम '81' व '81ए' के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या स्प्लीमेंटरी पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिबार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गई थी परन्तु आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को निम्न विवरणानुसार ₹**24225/-** का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है :-

नाम	**मात्रा (cum)**	**फैक्टर**	**कुल मात्रा**	**दर (प्रति टन)**	**राशि (₹)**
रेत	26.50	1.62	42.93	80	3434
बजरी	106	1.52	161.12	80	12890
रेत	06	1.62	9.72	80	778
बजरी	04	1.52	6.08	80	486
पत्थर	10	2.24	22.4	80	1792
				कुल योग	**19380**
				पेनल्टी 25%	**4845**
				कुल योग	**24225/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 309(1) दिनांक 21.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP MAKROLI-01 दिनांक 09.02.2024द्वारा अंकेक्षण को

अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण **रॉयल्टी** की गणना नहीं की जा सकी। प्रस्तुत उतर नियमों के विरुद्ध होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः **₹24225/**- के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस मामले को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हि. प्र. सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853-Non ferrous mining and Metallurgical Industries,102- Mineral Concession fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को रॉयल्टी के लिए जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जांच अपने स्तर पर करके वस्तुस्थिति, नियमानुसार देय रॉयल्टी की वसूली करना सुनिश्चित करें।

11. मजदूरी के रूप में ₹0.07 का अधिक व अनियमित भुगतान करने बारे:-

हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त (वेतन संशोधन) विभाग की अधिसूचना संख्या FIN-(PR)B(7)-33/2010 दिनांक 12.04.2016 व अधिसूचना संख्या FIN- (PR) B (7) – 33/2010 दिनांक 05.04.2022 द्वारा दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की मजदूरी दरों में संशोधन करते हुये मजदूरी दर निर्धारित की गई थी|

अंकेक्षण के दौरान (IWMP) कि रोकड़ बही के निम्नलिखित वाउचरों की जाँच के दौरान पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार निर्माण कार्य मे उपस्थित निम्नलिखित मजदूरों को उक्त अधिसूचना के अनुसार निर्धारित मजदूरी दर से अधिक भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्न विवरणानुसार है:-

क्रम संख्या	वाउचर संख्या/ दिनांक	मस्ट्रोल संख्या/ अवधि/ निर्माण कार्य का नाम	आवेदक (मजदूरों) के नाम	आवेदक (मजदूरों) की कुल उपस्थिति	भुगतान की गई मजदूरी दर(₹)	भुगतान की गई राशि (A) (₹)	उक्त अधिसूचना के अनुसार भुगतान की जाने योग्य मजदूरी दर (₹)	उक्त अधिसूचना के अनुसार भुगतान की जाने योग्य राशि (B) (₹)	अधिक भुगतान राशि (A-B) (₹)
1.	25 दिनांक 16.07.2022	019455/ 01.01.2017 से	केवल सिंह (मजदूर)	29	210	6090	200	5800	290

		31.01.2017 चैक डैम कुमी नाला गांव मकरोली	सुरेश कुमार (मजदूर)	28	210	5880	200	5600	280
			रवि कुमार (मजदूर)	28	210	5880	200	5600	280
			आरती देवी (मजदूर)	29	210	6090	200	5800	290
			आशा देवी (मजदूर)	28	210	5880	200	5600	280
			ज्ञान चन्द (मजदूर)	28	210	5880	200	5600	280
			ओमकार सिंह (मिस्त्री)	29	321	9309	242	7018	2291
	कुल योग								**3991**
2.	25 दिनांक 16.07.2022	019727/01.04.22 से 30.04.22 निर्माण मुरम्मत सार्वजनिक तलाव कुल्लाहड	फलातु राम (मिस्त्री)	4	433	1732	396	1584	148
	कुल योग (ख)								**148**
3.	45 दिनांक 18.07.2022	12814/01.05.22 से 29.05.22 मुरम्मत तालाव निकट GSSS मकडोली	मनीष धीमान	29	433	12557	396	11484	1073
			अक्षय कुमार	29	433	12557	396	11484	1073
	कुल योग (ग)								**2146**
	कुल योग (क+ख+ग)								**6285**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 309(5) दिनांक 21.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या GP MAKROLI-01 दिनांक 21.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त अनियमित भुगतान की उचित स्रोत से वसूली करके कृत अपेक्षित कार्रवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोबारा न दोहराया जाये |

12. क्रय किये गये सामान राशि ₹4.44 लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गये सामान का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25, 26, 27, व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है |

अंकेक्षण अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के दौरान की गई खरीद के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹444131/- के स्टॉक को क्रय उपरांत स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नही किया गया था, लेखांकन प्रक्रिया में इस प्रकार की त्रुटियों के चलते किसी भी स्तर पर धन, सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है:-

क्रम संख्या	बिल/वा० संख्या, वर्ष/माह	फर्म का नाम	विवरण	बिल की राशि
1.	**01**, दिनांक 21.07.22	मै. हैप्पी Enterprises	Water coller, water tank, water stand	34500
2.	**02**, दिनांक 21.07.22	मै. हैप्पी Enterprises	Water coller, water tank, water stand	56800
3.	**14**, दिनांक 15.07.22	मै. हि. प्र. स्टेट सिविल सप्लाई	सीमेंट बैग (150 beg)	60150
4.	**15**, दिनांक 15.07.22	मै. हि. प्र. स्टेट	सीमेंट बैग (70 beg)	28070

		सिविल सप्लाई		
5.	**17**, दिनांक 16.07.22	मै. मनोहर सिंह	Bricks (2500 nos)	17000
6.	**19**, दिनांक 15.07.22	मै. बलविंदर सिंह	रेत 2.5 cubm बजरी 2 cubm	5125
7.	**20**, दिनांक 16.07.22	मै. बलविंदर सिंह	सरिया 90 kg	8550
8.	**24**, दिनांक 16.07.22	मै. हि. प्र. स्टेट सिविल सप्लाई	सीमेंट बैग (14 beg)	5614
9.	**28**, दिनांक 16.07.22	मै. पारुल हार्डवेयर स्टोर	ERW Pipes 563 kg ERW Pipes 180 kg	49670
10.	**29**, दिनांक 16.07.22	मै. बलविंदर सिंह	रेत 11 cubm बजरी 23 cubm	37290
11.	**30**, दिनांक 16.07.22	मै. बलविंदर सिंह	बजरी 40 cubm	38000
12.	**36**, दिनांक 16.07.22	मै. बलविंदर सिंह	रेत 11 cubm बजरी 1 cubm बजरी 38 cubm	49340
13.	**40**, दिनांक 16.07.22	मै. बलविंदर सिंह	रेत 2 cubm बजरी 1 cubm	2645
14.	**41**, दिनांक 16.07.22	मै. मदन सीमेंट स्टोर	Bricks 2500 nos	16250
15.	42, दिनांक 16.07.22	मै. मदन सीमेंट स्टोर	89.95 kg	4227
16.	**22**, दिनांक 30.01.24	मै. बलविंदर सिंह	रेत 6 cubm बजरी 4 cubm बजरी 10 cubm बौल्डर10 cubm	30900
			कुल योग	**444131/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 309(4) दिनांक 21.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या क्रमांक 01/2024 दिनांक 21.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा ।

अतः स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14. बिल/ वाउचरों के भुगतान हेतु पारित आदेश सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संख्यापरीक्षा, संख्याकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/2022 से 03/2024 के दौरान बिलों का भुगतान हेतू उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया था जिनमें से चयनित माह के व्यय का विवरण निम्न दिया गया है ।

क्र° स°	बर्ष	चयनित माह	चयनित माह में पारित बिलों की कुल राशि
1.	2022-23	07/22	940774.00
2.	2023-24	01/24	250267.00

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 309(2) दिनांक 21.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP MAKROLI-01 दिनांक 21.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

15. बिल / वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार "पंचायत के सचिव प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित करेगा" ।

अंकेक्षण हेतु चयनित माह 07/22 व 01/24 के दौरान व्यय वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि माह 07/22 व 01/24 के दौरान व्यय की गई राशि से सम्बन्धित बिल/ वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं थे जो कि उपरोक्त नियमों के विपरीत है |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 309(3) दिनांक 21.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP MAKROLI-01 दिनांक 21.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

16. विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, लेखांकन प्रक्रिया में अपूर्णता के चलते क्रॉस मॉनिट्रिंग के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है :-

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	मासिक बैंक समाधान विवरणी	---	15(1)
3	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
4	रसीद बुक जारी करने का रजिस्टर	---	31
5	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(14)
6	सहायक अनुदान रजिस्टर, हि. प्र. पंचायती राज सामान्य नियम 1997	8	34
7	बिल रजिस्टर	13	48
8	डाक टिकत रजिस्टर	24	61 (2)

9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण न करना	25 व 26	72(1) (ए,बी)

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 309(6) दिनांक 21.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP MAKROLI-01 दिनांक 21.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

17. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था|

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 309(7) दिनांक 21.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP MAKROLI-01 दिनांक 21.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

18. लघु-आपति विवरणिका :- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई हैं।

19. निष्कर्ष:- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवयश्कता है।

0 3 SEP 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

क्र0/50
4407 – 4411

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)45/2016–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत मकड़ोली, विकास खण्ड इन्दौरा जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

0 3 SEP 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

क्र0/50

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-22 OF GRAM PANCHAYT MAKROLI BLOCK INDORA DISTRICT INDORA PINCODE 176022

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2021-22	224138.00	55634.00	279772	11779.00	267993.00

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK **224138.00**

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT MAKROLI BLOCK INDORA DISTRICT KANGRA PINCODE 176022

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2022-23	267993.00	165509.37	433502.37	46202.00	387300.37

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2023 IN CASH BOOK **267993.00**

PRADHAN
GRAM PANCHAYAT
BLOCK

22

FINANCIAL POSITION OF GRANT-IN-AID OF GP MAKROLI BLOCK INDORA FOR THE YEAR 2022-23

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	703104.37	16914.00	720018.37	499914.00	220104.37
2	MGNREGA	0	686882.70	686882.70	686882.70	0.00
3	PMKSY	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4	5TH FC	107009.5	226017.00	333026.50	201450	131576.50
5	NRHM	16094	459.00	16553.00	0.00	16553.00
6	MPLAD	0	0.00	0.00	0.00	0.00
7	VMJS	0	0.00	0.00	0.00	0.00
8	VKVNY	120579	920825.00	1041404.00	766573	274831.00
9	SDRF	0	0.00	0.00	0.00	0.00
10	IWMP	873668	533282.00	1406950.00	1400813.00	6137.00
11	TSC	5299	100.00	5399.00	5399.00	0.00
12	PMAGY	0	0.00	0.00	0.00	0.00
13	RGSA	0	0.00	0.00	0.00	0.00
14	SDP	0	0.00	0.00	0.00	0.00
15	MMRRRS	14599	80000.00	94599.00	94599.00	0.00
16	15TH FC	1079877	858585.00	1938462.00	274258.00	1664204.00
	TOTAL	**2920229.87**	**3323064.70**	**6243294.57**	**3929888.70**	**2313405.87**

FINANCIAL POSITION OF GRANT IN AID OF GP MAKROLI BLOCK INDORA FOR THE YEAR 2023-24

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	220104.37	5775.00	225879.37	225879.37	0.00
2	MGNREGA	0.00	397868.00	397868.00	397868.00	0.00
3	PMKSY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	5TH FC	131576.50	310694	442270.50	374125	68145.50
5	NRHM	16553.00	511.00	17064.00	17064.00	0.00
6	MPLAD	0.00	0	0.00	0	0.00
7	VMJS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	VKVNY	274831.00	253331	528162.00	381579	146583.00
9	SDRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	IWMP	6137.00	0.00	6137.00	0.00	6137.00
11	TSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	PMAGY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	RGSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	SDP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	MMRRRS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	15TH FC	1664204.00	148268.00	1812472.00	95342.00	1717130.00
	TOTAL	**2313405.87**	**1116447.00**	**3429852.87**	**1491857.37**	**1937995.50**

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF GRANT IN AID AS ON 01-04-2023 IN CASH BOOK **2313405.87**

PRADHAN
GRAM PANCHAYAT ...
DEV BLOCK ...

BANK DETAIL OF GP MAKROLI BLOCK INDORA DISTRICT KANGRA

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 01-04-22

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General/OWN SPURCE	KCCB MAKROLI	200158004948	224094.00
2	5TH FC	KCCB MAKROLI	50055745765	107009.5
3	14TH FC	KCCB MAKROLI	50064391361	703104.37
4	VKVNY	KCCB MAKROLI	50056024504	140477
5	NRHM	KCCB MAKROLI	50055745798	16094
6	IWMP	KCCB MAKROLI	50064140215	873668
7	15TH FC	PNB REHAN	843000102242280	1079877
		CASH IN HAND		44
		TOTAL		3144367.87

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-23				
S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General/OWN SPURCE	KCCB MAKROLI	200158004948	255608
2	5TH FC	KCCB MAKROLI	50055745765	112976.5
3	14TH FC	KCCB MAKROLI	50064391361	22014.37
4	VKVNY	KCCB MAKROLI	50056024504	240250
5	NRHM	KCCB MAKROLI	50055745798	16553
6	IWMP	KCCB MAKROLI	50064140215	0
7	15TH FC	PNB REHAN	843000102242280	1664204
		CASH IN HAND		1230
		TOTAL		2312835.87

	BANK DETAIL OF GP MAKROLI BLOCK INDORA DISTRICT KANGRA			
	CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-24			
S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General/OWN SPURCE	KCCB MAKROLI	200158004948	375945
2	5TH FC	KCCB MAKROLI	50055745765	49545.5
3	14TH FC	KCCB MAKROLI	50064391361	0
4	VKVNY	KCCB MAKROLI	50056024504	120002
5	NRHM	KCCB MAKROLI	50055745798	0
6	IWMP	KCCB MAKROLI	50064140215	0
7	15TH FC	PNB REHAN	843000102242280	1717130
		CASH IN HAND		200
		TOTAL		2262822.50

PRADHAN
GRAM PANCHAYAT

J.A

परिशिष्ट - ख पैरा - 7 के संदर्भ में

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT MAKROLI BLOCK INDORA DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2022-23	403	50	64660	20150	84810	0	84810

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-24 OF GRAM PANCHAYT MAKROLI BLOCK INDORA DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2023-24	486	50	84810	24300	109110	39760	69350

PRADHAN
GRAM PANCHAYAT ...

परिशिष्ट - "ग" पैरा - 1 के संदर्भ में

ग्राम पंचायत मकडोली वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24

अवधि के दौरान जॉब कार्ड धारको को उपलब्ध करवाए गए रोजगार दिवसों का विवरण निम्नलिखित में दर्शाया गया है।

वर्ष	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित कार्य	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत किये गए कार्य	शेल्फ तथा किये गए कार्यों के बीच अंतर	जॉब कार्ड धारकों की संख्या (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्होंने रोजगार माँगा (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें रोजगार प्रदान किया गया (HH)	वर्ष के दौरान प्रदान किये गए मेंडेस	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें 100/120 दिनों का रोजगार प्रदान किया गया	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत प्रदान किये जाने वाले कार्य दिवस
2022-23	52	16	36	374	87	87	4171	nil	31198
2023-24	79	8	71	367	52	52	2338	8	36292

Manish

मनीष कुमार

ग्राम रोजगार सहायक

ग्राम पंचायत मकडोली

जिला इन्दौर